AC-II

डावा = 39/13

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रतिवादी [illegible] किया जाकर प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते [illegible] रिपोर्ट आगामी पेशी दिनांक 13/1/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय पत्रावली आज दिनांक 13/1/23 को पेश हुई। वकील प्रार्थी - अप्रार्थी / पक्षकार [illegible] उपस्थित हुये। पत्रावली [illegible] / प्रा.जवाब / [illegible] रिपोर्ट [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 30/1/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	30/01/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादी ने मौखिक रूप से निवेदन किया कि वह वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं, वादी ने पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। जब वादी स्वयं वाद को आगे नहीं चलाना चाहते तो वाद को आगे चलाने जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली की नतीजा [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30/01/23 को खुले इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय